

प्रा. पत्र 136/03

धनना 515 सरकार

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख
हुकम

7.5.15

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
 212 R.T.A. पर एव, फर्माप बहस सुनी गई। कमील
 वादी ने बताया कि, वादी को भूमि भ्रंशित हुई
 थी; मगर सेटलमेंट में गलती इन्डुज हो गयी है
 अतः अरसाइनिंग धाडा पारसेत की जावे। प्रकरण
 में कमील वादी की बहस एव प्रतिवादी महा का
 पेश अवाक पर मनन किया गया। वादी को भ्रंशित
 भूमि वर्तमान शेकाडे में भी वादी के नाम दर्ज
 होना जाहिर होकर प्रार्थना पत्र वादी को वापिस
 जोस आधार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
 धारा 212 R.T.A. इवारेज किया जाता है।
 अतः महानिर्णय सुले न्यायालय में सुनाया
 गया।

पत्रावली पेशाल शुमार होकर नम्बर 3
 काम है।

सहायक कलक्टर एव
 उपखण्ड अधिकारी, माण्डल